<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाह्य न्यायालय मोहम्मदी खीरी</u>
<u>प्रकीर्ण वाद सं0—575 / 2025</u>
<u>CNR No UPLP10003203-2025</u>

श्रीमती प्रमिला राठौर बनाम कुलदीप राठौर

मु0अ0सं0—89 / 2025
थाना—मोहम्मदी खीरी।
अन्तिम रिपोर्ट सं0—64 / 2025

<u>दिनांक 29.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु वादिनी मुकदमा उपस्थित नहीं है, न ही वादिनी की तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उपरोक्त मामले में पीड़िता ने अपने बयान धारा—183 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि वह बालिग है तथा अपनी मर्जी से कुलदीप के साथ गयी थी, जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0—89 / 2025 में प्रेषित अन्तिम आख्या सं0—64 / 2025 इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है। भविष्य में प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के संबंध में किसी भी जानकारी के प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को परिवाद के रुप में संचालित किया जा सकेगा। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रद्धा भारतीय)
(J.O Code-UP1964)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी खीरी